अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/2024/126 रीवा, दिनांक 19-3-24

छात्रों हेतु
अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम–2023, की नियम क्रमांक–3 (1) (च) के अन्तर्गत "शिकायत" का अभिप्राय और इसमें निम्नवत के संबंध में किसी पीड़ित छात्र द्वारा की गई शिकायतें शामिल है, नामत

1. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना,
2. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रकिया में अनियमितताएं,
3. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना,
4. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्थान द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना,
5. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक हो और तथ्यों पर आधारित न हो,
6. किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो, उसको अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यकम के संबंध में छात्र को किसी शुल्क अथवा शुल्कों का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सकें, जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हों,
7. संस्थान की घोषित नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना।
8. छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लघंन किया जाना,
9. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत अथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो तो , के तहत किसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना भुगतान किया जाना,
10. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में अथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में अथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना,
11. संस्थान विवरणिका में यथा उल्लिखित अथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रों की सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना,

letter
1076

12. छात्रों के मूल्याकंन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर–पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां,
13. ऐसे किसी छात्र को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जो कि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, बशर्ते यह समय–समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अधीन हो , नामांकन वापस लेता है,
14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक दिव्यांग श्रेणियों के छात्रों से कथित भेदभाव की शिकायत,
15. प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किया जाना अपेक्षित था के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना,
16. छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामलों के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधो के तहत कारवाई की जानी हो, छात्र का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।
17. संस्थान के कानूनों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों, या दिशा–निर्देशों के विपरीत कोई कारवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना, तथा
18. आयोग और/अथवा संबंधित नियामक निकाय द्वारा बनाए गए/जारी किए गए नियमों और/या दिशा–निर्देशों के विपरीत कोई भी कारवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना।

नोटसीट– 1 संस्थान से संबंधित किसी पीड़ित छात्र की किसी भी शिकायत "छात्र शिकायत निवारण समिति (एस.जी.आर.सी)" के अध्यक्ष को सम्बोधित की जाएगी।

2. छात्र शिकायत निवारण समिति (एस.जी.आर.सी) के निर्णयों से पीड़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीः–

1. डॉ0 पी0के0 राय, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)।
2. छात्र कल्याण विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
3. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
4. संबंधित नस्ती।
5. सूचना पटल।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

letter
1077